अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2021 (GCMS 2021/75) RTI No. 212447133117134 श्री संतोष कुमार जैन निवासी बी–140 अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर – 301001 बनाम प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर

27.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संतोष कुमार जैन उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी अधिकारी,स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं तीन दिन में सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2021 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. कृपया यह जानकारी देने का कष्ट फरमाएं कि आपके जिला कलक्टर कार्यालय में दिनाक 01.04.2017 से क्रमशः 1 संस्थापन अधिकारी एवं 2 प्रशासनिक अधिकारी के कितने पद है जिनका बजट भी निरन्तर प्राप्त हो रहा है।
2. आपके कार्यालय में [illegible] दोनो पद यानि संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कौन–कौन अधिकारी [illegible] पदस्थापित है/कार्यरत है। कृपया [illegible] के पदोन्नति, [illegible], इस हेतु आपके कार्यालय द्वारा अपनाई गई [illegible] प्रक्रियाओं एवं उक्त दोनो पदों के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई/करवाई गई डी0पी0सी0 की मय नोटशीट/पत्रावली की प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. कृपया आपके कार्यालय में उक्त दोनो पदों पर पदस्थापित/कार्यरत अधिकारियान की क्या–क्या कार्य दिया हुआ है, की पूर्ण जानकारी मय आदेशो की प्रति भी उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं।
4. कृपया यदि उक्त दोनो पदो पर आपके जिले में कार्यरत/पदस्थापित अधिकारियान/कर्मचारियान की आदिंनाक तक पदोन्नति नही हुई है/नही हो पाई है/नही की गई है तो ऐसे विशेष कुछ कारणों/ परेशानियों /दिक्कतों बाबत भी अवगत कराएं कि 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी योग्य, अनुभवी, वरिष्ठ अधिकारियान/ कर्मचारियान क्यो पदोन्नति नही पा रहे है एवं आर्थिक नुकसान/मानसिक नुकसान/सामाजिक नुकसान/ पारिवारिक नुकसान सहते हुयें निरन्तर सेवानिवृत हो रहे है। पदोन्नतियां नही होने में शिथिलता, अरूचि, रूखापन किस–किस में रही है यथाः स्वयं श्रीमान जिला कलक्टर संबंधित, श्रीमान प्रभारी अधिकारी (स्थापना प्रकोष्ठ) स्थापना प्रकोष्ठ के कर्मचारियान अथवा स्वयं वरिष्ठ पदोन्न्त होने वाहे सीनियर, अनुभवी, योग्य स्वयं नाम मात्र के अधिकारियान/कर्मचारियान में?
5. **कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाए कि यदि** आपके कार्यालय में संभवतः संस्थापन अधिकारी का पद ही स्वीकृत नही है तो आपके जिलाा कार्यायल में पदस्थापित /कार्यरत कर्मचारियान/अधिकारियान का संस्थापन **अधिकारी के पद पर प्रमोशन कौन सा उच्चधिकारी करेगा यथाः माननीय प्रमुख शसन सचिव महोदय राजस्व विभाग** सचिवालय, जयपुर या श्रीमान चैयरमैन/निबन्धक महोदय /महोदया राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अथवा श्रीमान संबधित संभागीय आयुक्त महोदयान। इसके साथ ही आपके **जिला कार्यालय को संस्थापन अधिकारी के पद की** आवश्यक[illegible] अवगत कराने का श्रम फरमाए।
6. कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाए कि संभवतः आपके जिला कार्यालय में स्वीकृत– प्रशासनिक अधिकारी **के पद का भी आपके कार्यालय को आवश्यकता है अथवा** नही? यदि है तो क्या और भी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की आवश्यकता आपका जिला कलक्टर कार्यालय महसूस करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7. कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट फरमाए कि दिनांक 01.04.207 से आपके जिला कलक्ट्रेट में से किस–किस अति0 प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति तहसीलदार के पद पर हुई है। कृपया उनकी जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, क0 लिपिक/कनिष्ठ सहायक के पद हुई है, कृपया उनकी जन्म तिथि, पदवार उनकी संस्थाई तिथि, नियुक्ति का माध्यम शैक्षणिक योग्यता से अवगत कराने का श्रम फरमाएं।
8. कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट करे कि दिनांक 31.08.2020 को आपके जिला कलक्ट्रेट (अधीनस्थ कार्यालयों सहित) स्वयं में दिनांक 23.02.1980 से पूर्व का आर.पी.एस.सी. से चयनित एवं उसी तिथि से संस्थाई कोई अधिकारी/कर्मचारी मौजुद है? यदि है तो कृपया उसका कॉलम सात के अनुसार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.1(23)(स्था/19/3687 दिनांक 29.04.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

क्र सं.	चाही गई जानकारी	उतर
1	कृपया यह जानकारी देने का कष्ट फरमाएं कि आपके जिला कलक्टर कार्यालय में दिनाक 01.04.2017 से क्रमशः 1 संस्थापन अधिकारी एवं 2 प्रशासनिक अधिकारी के कितने पद है जिनका बजट भी निरन्तर प्राप्त हो रहा है।	सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अर्न्गत केवल ऐसी सूचनाएं प्रदान करना आपेक्षित है, जो

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

		2	आपके कार्यालय में वर्तमान में उक्त दोनो पद यानि संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदो पर कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारियान पदस्थापित है/कार्यरत है। कृपया ऐसे दोनो अधिकारियान के पदोन्नति, आदेशो, इस हेतु आपके कार्यालय द्वारा अपनाई गई विहित प्रकियाओं एवं उक्त दानो पदो के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई/करवाई गई डी0पी0सी0 की मय नोटशीट/पत्रावली की प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी, समस्याओं का समाधान करना या सूचना की व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नो क उत्तर देन अपेक्षित नही है। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांक 10.07.2008–आईआर दिनांक 10.07.2008 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के
		3	कृपया आपके कार्यालय में उक्त दोनो पदो पर पदस्थापित/कार्यरत अधिकारियान की क्या–क्या कार्य दिया हुआ है, की पूर्ण जानकारी मय आदेशो की प्रति भी उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं।	
		4	कृपया यदि उक्त दोनो पदो पर आपके जिले में कार्यरत/पदस्थापित अधिकारियान/कर्मचारियान की आदिंनाक तक पदोन्नति नही हुई है/नही हो पाई है/नही की गई है तो ऐसे विशेष कुछ कारणों/परेशानियों/दिक्कतों बाबत भी अवगत कराएं कि 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी योग्य, अनुभवी, वरिष्ठ अधिकारियान/कर्मचारियान क्यो पदोन्नति नही पा रहे है एवं आर्थिक नुकसान/मानसिक नुकसान/सामाजिक नुकसान/पारिवारिक नुकसान सहते हुयें निरन्तर परेशान हो रहे है।पदोन्नतियां नही [illegible] शिथिलता, असफलता [illegible] किस में रही है यथा: स्वयं श्रीमान जिला कलक्टर संबंधित, श्रीमान प्रभारी अधिकारी (स्थापना प्रकोष्ठ) स्थापना प्रकोष्ठ के कर्मचारियान अथवा स्वयं वरिष्ठ पदोन्नत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

			होने वाहे सीनियन, अनुभवी, योगय स्वयं नाम मात्र के अधिकारियान/कर्मचारियान में?	अनुसार लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नही
		5	कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाए कि यदि आपके कार्यालय में संभवतः संस्थापन अधिकारी का पद ही स्वीकृत नही है तो ाअपके जिा कार्यायल में पदस्थापित/कार्यरत कर्मचारियान/अधिकारियान का संस्थापन अधिकारी के पद पर प्रमोशन कौन सा उच्चधिकारी करेगा यथाः माननीय प्रमुख शसन सचिव महोदय राजस्व विभाग सचिवालय, जयपुर या श्रीमान चैयरमैन/निबन्धक महोदय/महोदया राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अथवा श्रीमान संबधित संभागीय आयुक्त महोदयान। इसके साथ ही आपके जिला कार्यालय को संस्थापन अधिकारी के पद की आवश्यकता भी है अथवा नही यह भ अवगत कराने का श्रम फरमाए।	है ि कवह सामग्री में से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप मे प्रदान करे जिस रूप मे वह उपलब्ध है । सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर
		6	कृपया यह भ अवगत कराने का श्रम फरमाए कि संभवतः आपके जिला कार्यालय में स्वीकृत–प्रशासनिक अधिकारी के पद का भी आपके कार्यालय को आवश्यकता है अथवा नही? यदि है तो क्या और भी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की आवश्यकता आपका जिला कलक्टर कार्यालय महसूस करता है	नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है उक्त निर्देशो के अनुसरण में आपके आवेदन में
		7	कृपया [illegible] कष्ट फरमाए कि दिनांक [illegible] 04.2[illegible] से आपके जिला [illegible] आत0 प्रशास[illegible] [illegible]/कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति [illegible]हसीलदार के पद पर हुई है। कृपया उनकी जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, क0 लिपिक/कनिष्ठ सहायक के पद हुई है,	अंकित बिन्दु संख्या 01 से 08 संबधित सूचना के संबध में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 01. 04.2021 अस्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	कृपया उनकी जन्म तिथि, पदवार उनकी संस्थाई तिथि, नियुक्ति का माध्यम शैक्षणिक योग्यता से अवगत कराने का श्रम फरमाएं।	निरस्त किया जाता है
8	कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट करे कि दिनांक 31.08.2020 को आपके जिला कलक्ट्रेट (अधीनस्थ कार्यालयों सहित) स्वयं में दिनांक 23.02.1980 से पूर्व का आर0पी0एस0सी0 से चयनित एवं उसी तिथि से संस्थाई कोई अधिकारी/कर्मचारी मौजुद है? यदि है तो कृपया उसका कॉलम सात के अनुसार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	

-sd-

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.04.2021 को दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे [illegible] मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह [illegible] को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, स्थापना शखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 29.04.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested